

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 16/2019

1. दानाराम पुत्र मन्शाराम जाति जाट निवासी भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान
2. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र गिधारीलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 2 गुलाबकीकोठी तह0 व जिला सीकर

-वादीगण

बनाम

1. प्रेमकंवर पत्नी रघुनाथसिंह
2. बसंतसिंह
3. बलबीरसिंह
4. भीमसिंह
5. उम्मेदसिंह पुत्रान रघुनाथसिंह
6. नरेन्द्रसिंह
7. विरेन्द्रसिंह पुत्रान जगमालसिंह जाति राजपूत निवासीगण मोहनबाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू
9. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीबीजे) शाखा बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
10. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ

-प्रतिवादीगण



अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह दूत ऐडवोकेट

दावां बाबत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन
निर्णय

वाद वादीगण दिनांक 10.06.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/1454 दिनांक 11.07.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/08/19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत कृषि भूमि का विधिवत विभाजन

मुकदमा सं०:- 16/2019 (दानाराम आदि बनाम प्रेमकंवर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू - वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 01.08.2019 के अनुसार वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

जिन..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद
बशरह.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।
बसक्षे मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 10 माह 08 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00